

श्वेतधारा मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड

CIN: U01100UP2016PTC082671

पंजीकृत कार्यालय: गोरखनाथ कॉम्प्लेक्स, प्रथम तल बाई ओर, प्रयागराज रोड, अवध विश्वविद्यालय के पास, फैजाबाद, अयोध्या-224001

ई-मेल: info@shwetdharamilk.com, फोन नं.: 7991402222, वेबसाइट: www.Shwetdharamilk.com

अधिसूचना

यह सूचित किया जाता है कि श्वेतधारा मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड के सदस्यों की 11वीं वार्षिक आम सभा शुक्रवार, 25 सितंबर 2026 को दोपहर 12:00 बजे पार्क इन बाय रैडिसन अयोध्या, प्लॉट संख्या 4108, फतेहगंज रोड - सिविल लाइन रोड, लाजपत नगर, फैजाबाद, अयोध्या, उत्तर प्रदेश - 224001 में निम्नलिखित कार्यों को संपादित करने के लिए आयोजित की जाएगी:

साधारण कार्य:

- 31 मार्च 2026 को समाप्त अवधि के लिए कंपनी की 31 मार्च 2026 की बैलेंस शीट तथा लाभ एवं हानि खाते को, उससे संबंधित अनुसूचियों एवं टिप्पणियों तथा निदेशकों और लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट सहित प्राप्त करने, विचार करने और अंगीकृत करने तथा इस संबंध में निम्नलिखित साधारण प्रस्ताव पारित करने हेतु:

“यह प्रस्ताव पारित किया जाता है कि 31 मार्च 2026 की लेखापरीक्षित बैलेंस शीट, लाभ एवं हानि खाता तथा उक्त तिथि को समाप्त वर्ष का नकदी प्रवाह विवरण, उनसे संबंधित अनुसूचियों एवं टिप्पणियों तथा निदेशकों और लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट सहित, एतद्द्वारा अनुमोदित एवं अंगीकृत किए जाते हैं।”

- कंपनी की शेयर पूंजी पर सीमित प्रतिफल (लाभांश) पर विचार करने एवं घोषित करने तथा इस संबंध में निम्नलिखित साधारण प्रस्ताव पारित करने हेतु:-

“यह प्रस्ताव पारित किया जाता है कि 31 मार्च 2026 को समाप्त वित्तीय वर्ष की सभी लागू वैधानिक आवश्यकताओं के अनुपालन के अधीन, पात्र संचित मुक्त भंडार से कंपनी की शेयर पूंजी पर प्रति इक्विटी शेयर ₹ 7/- (केवल सात रुपये) की दर से सीमित प्रतिफल (लाभांश), 100 रुपये (केवल एक सौ रुपये) प्रत्येक के पूर्णतः चुकता 8,84,486 इक्विटी शेयरों पर, जिसकी कुल राशि ₹ 61,91,402/- (केवल इकसठ लाख इक्यानवे हजार चार सौ दो रुपये) है, वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए एतद्द्वारा अनुमोदित एवं पुष्टि की जाती है तथा उक्त राशि उन इक्विटी शेयरधारकों को भुगतान की जाएगी जिनके नाम 31 मार्च 2026 को सदस्यों के रजिस्टर में दर्ज थे।”

- श्रीमती ज्योति सिंह (DIN:11926624) को Class-A का प्रतिनिधित्व करते हुए, श्रीमती सविता मौर्य (DIN:10283941) (Class-B का प्रतिनिधित्व) के स्थान पर निदेशक नियुक्त करने पर विचार करना, जो रोटेशन द्वारा सेवानिवृत्त हो रही हैं और पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र नहीं हैं, तथा इस संबंध में निम्नलिखित साधारण प्रस्ताव पारित करना:-

“यह प्रस्ताव पारित किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 के अध्याय XXIA तथा धाराओं 152, 161, 378P एवं अन्य लागू प्रावधानों, यदि कोई हों, के अनुसार, श्रीमती सविता मौर्य (DIN: 10283941) (Class-B का प्रतिनिधित्व करने वाली) निदेशक, आगामी वार्षिक आम सभा में रोटेशन द्वारा सेवानिवृत्त होने वाली हैं और पात्र न होने के कारण पुनर्नियुक्ति के लिए स्वयं को प्रस्तुत नहीं करती हैं; अतः उत्पन्न रिक्ति को श्रीमती ज्योति सिंह (DIN:11926624) (Class-A का प्रतिनिधित्व) को निदेशक नियुक्त करके भरा जाए और उनका कार्यकाल रोटेशन द्वारा सेवानिवृत्ति के अधीन होगा।”

- श्रीमती रिया नीरज कुमार मिश्रा (DIN:11926772) को Class-A का प्रतिनिधित्व करते हुए, श्रीमती मालती देवी (DIN: 10283946) (Class-B का प्रतिनिधित्व) के स्थान पर निदेशक नियुक्त करने पर विचार करना, जो रोटेशन द्वारा सेवानिवृत्त हो रही हैं और पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र नहीं हैं, तथा इस संबंध में निम्नलिखित साधारण प्रस्ताव पारित करना:

“यह प्रस्ताव पारित किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 के अध्याय XXIA तथा धाराओं 152, 161, 378P एवं अन्य लागू प्रावधानों, यदि कोई हों, के अनुसार, श्रीमती मालती देवी (DIN: 10283946) (Class-B का प्रतिनिधित्व करने वाली) निदेशक आगामी वार्षिक आम सभा में रोटेशन द्वारा सेवानिवृत्त होने वाली हैं और पात्र न होने के कारण पुनर्नियुक्ति के लिए स्वयं को प्रस्तुत नहीं करती हैं; अतः उत्पन्न रिक्ति को श्रीमती रिया नीरज कुमार मिश्रा (DIN:11926772) (Class-A का प्रतिनिधित्व) को निदेशक नियुक्त करके भरा जाए और उनका कार्यकाल रोटेशन द्वारा सेवानिवृत्ति के अधीन होगा।”

श्वेतधारा मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड

CIN: U01100UP2016PTC082671

पंजीकृत कार्यालय: गोरखनाथ कॉम्प्लेक्स, प्रथम तल बाई ओर, प्रयागराज रोड, अवध विश्वविद्यालय के पास, फैजाबाद, अयोध्या-224001

ई-मेल: info@shwetdharamilk.com, फोन नं.: 7991402222, वेबसाइट: www.Shwetdharamilk.com

- श्रीमती बीना पाठक (DIN:11926782) को Class-C का प्रतिनिधित्व करते हुए निदेशक नियुक्त करने पर विचार करना, श्रीमती सरिता देवी (DIN: 08553205) (Class-C का प्रतिनिधित्व) की रोटेशन द्वारा सेवानिवृत्ति के कारण, जो पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र नहीं हैं, तथा इस संबंध में निम्नलिखित साधारण प्रस्ताव पारित करना:

“यह प्रस्ताव पारित किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धाराओं 152, 161, 378P तथा अध्याय XXIA एवं अन्य लागू प्रावधानों, यदि कोई हों, के अनुसार, श्रीमती सरिता देवी (DIN: 08553205) (Class-C का प्रतिनिधित्व करने वाली) निदेशक आगामी वार्षिक आम सभा में रोटेशन द्वारा सेवानिवृत्त होने वाली हैं और पात्र न होने के कारण पुनर्नियुक्ति के लिए स्वयं को प्रस्तुत नहीं करती हैं; अतः उत्पन्न रिक्ति को श्रीमती बीना पाठक (DIN:11926782) (Class-C का प्रतिनिधित्व) को निदेशक नियुक्त करके भरा जाए और उनका कार्यकाल रोटेशन द्वारा सेवानिवृत्ति के अधीन होगा।”

- वैधानिक लेखा परीक्षकों की नियुक्ति करने, पारिश्रमिक निर्धारित करने तथा इस संबंध में निम्नलिखित साधारण प्रस्ताव पारित करने हेतु:-

“यह प्रस्ताव पारित किया जाता है कि M/s. S.N. Dhawan & LLP., Gurugram, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, (फर्म पंजीकरण संख्या 000050N/N500045)), को कंपनी के वैधानिक लेखा परीक्षक के रूप में 11वीं वार्षिक आम सभा के समापन से लेकर कंपनी की 16वीं वार्षिक आम सभा के समापन तक पांच वर्ष की अवधि के लिए, प्रत्येक वित्तीय वर्ष हेतु निदेशक मंडल द्वारा निर्धारित किए जाने वाले पारिश्रमिक पर, एतद्वारा नियुक्त किया जाता है।”

विशेष कार्य:

- वित्तीय वर्ष 2026-2027 के लिए कंपनी के बजट पर विचार एवं अनुमोदन करना।

“यह प्रस्ताव पारित किया जाता है कि 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2027 की अवधि के लिए, वार्षिक आम सभा के समक्ष प्रस्तुत कंपनी का बजट एतद्वारा अनुमोदित किया जाता है।”

- NDDB द्वारा प्रवर्तित की जाने वाली मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव की शेयर पूंजी में अभिदान करने पर विचार एवं अनुमोदन करना तथा इस संबंध में निम्नलिखित विशेष प्रस्ताव पारित करना:

“यह प्रस्ताव पारित किया जाता है कि कंपनी के ज्ञापन एवं संस्था के अंतर्नियम तथा कंपनी अधिनियम, 2013 के अध्याय XXIA और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों एवं विनियमों तथा अन्य लागू कानूनों/वैधानिक प्रावधानों, यदि कोई हों, (समय-समय पर लागू वैधानिक संशोधन या पुनः अधिनियमन सहित) के अनुसार, कंपनी के सदस्यों की स्वीकृति एतद्वारा प्रदान की जाती है कि कंपनी सामान्य भंडार के 30% तक की सीमा में मल्टी-स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी के शेयरों की सदस्यता ले तथा NDDB द्वारा प्रवर्तित मल्टी-स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी की सदस्य बने।

यह भी प्रस्ताव पारित किया जाता है कि कंपनी के अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यकारी को इस संकल्प को लागू करने के लिए आवश्यक सभी कार्यवाही प्रारंभ करने तथा आवश्यक दस्तावेज निष्पादित करने हेतु पृथक-पृथक रूप से अधिकृत किया जाता है।”

- परिभाषित मानदंडों के आधार पर रिक्त बोर्ड पदों के लिए पात्र सदस्यों से प्राप्त आवेदनों की जांच करने हेतु नामांकन समिति के गठन के दिशा-निर्देशों पर विचार एवं अनुमोदन करना तथा इस संबंध में निम्नलिखित साधारण प्रस्ताव पारित करना:

“यह प्रस्ताव पारित किया जाता है कि पूर्व में पारित संकल्पों के अधिक्रमण में, कंपनी अधिनियम, 1956 के संबंधित प्रावधानों, जिसमें उसका भाग IX-A भी शामिल है (समय-समय पर लागू किसी वैधानिक संशोधन या पुनः अधिनियमन सहित, तथा जहां लागू हो वहां कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधान भी आवश्यक परिवर्तन

श्वेतधारा मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड

CIN: U01100UP2016PTC082671

पंजीकृत कार्यालय: गोरखनाथ कॉम्प्लेक्स, प्रथम तल बाई ओर, प्रयागराज रोड, अवध विश्वविद्यालय के पास, फैजाबाद, अयोध्या-224001

ई-मेल: info@shwetdharamilk.com, फोन नं.: 7991402222, वेबसाइट: www.Shwetdharamilk.com

सहित), तथा कंपनी के ज्ञापन एवं संस्था के अंतर्निर्णय के लागू प्रावधानों के अनुसार, नामांकन समिति के गठन के दिशा-निर्देश एतद्वारा अपनाए एवं अनुमोदित किए जाते हैं, जो निम्नानुसार हैं:-

- श्वेतधारा मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड ("कंपनी") का बोर्ड वित्तीय वर्ष की समाप्ति के तीन माह के भीतर एक "नामांकन समिति" (NC) गठित करेगा, जिसका उद्देश्य कंपनी के निदेशक मंडल में रिक्त उत्पादक-सदस्य निदेशक पद के लिए संभावित अभ्यर्थी का सुझाव निदेशक मंडल को देना होगा।
- निदेशक मंडल में उत्पादक निदेशकों के रिक्त पद (Class A, Class B या Class C श्रेणी के अंतर्गत) की घोषणा कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा की जाएगी। पात्र सदस्यों से नामांकन आमंत्रित करने वाली सूचना, नामांकन समिति द्वारा विचार हेतु (निदेशक मंडल पर जितने पद रिक्त हैं उतने पद भरने के लिए), कंपनी के नोटिस बोर्ड और/या वेबसाइट, यदि कोई हो, पर लगाई जाएगी और/या साधारण डाक द्वारा और/या कंपनी में पंजीकृत ई-मेल पते पर और/या किसी अन्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से संबंधित वर्ग के सभी पात्र सदस्यों को भेजी जाएगी।
- निदेशक मंडल ऐसी प्रक्रिया तैयार करेगा जिसका पालन "नामांकन समिति" द्वारा अनुच्छेद में उल्लिखित संभावित सदस्यों की पहचान करने के लिए किया जाएगा।
- "नामांकन समिति" पात्र आवेदक के लिए प्रत्येक मानदंड के विरुद्ध दिए जाने वाले "आवेदक पात्रता अंक" दर्शाने वाली निम्न तालिका पर विचार करेगी:

आवेदक पात्रता अंक हेतु मानदंड	अधिकतम अंक
पिछले दो वित्तीय वर्षों में कंपनी को दुग्ध आपूर्ति किए गए दिनों की संख्या; अंक इस प्रकार होंगे: (95% या अधिक दिन - 30 ; 85% से <95% दिन - 20 ; 75% से <85% - 15 ; 65% से <75% - 10 ; 55% से <65% - 5 ; <55% - 0)	30
अवधि के दौरान पूरा अधिशेष कंपनी को आपूर्ति करना (अर्थात किसी अन्य खिलाड़ी/प्रतियोगी/संचालक को दुग्ध की आपूर्ति नहीं की गई हो) — स्व-घोषणा एवं कंपनी द्वारा बाद में किए जाने वाले सत्यापन के आधार पर।	5
पिछले 5 वर्षों के लिए सदस्यता की किसी एक श्रेणी (A, B, C) को बनाए रखना @ प्रत्येक वर्ष 6 अंक	30
5 अंक 12वीं उत्तीर्ण के लिए, 10 अंक स्नातक के लिए, 15 अंक स्नातकोत्तर के लिए	15
प्रशिक्षण में भागीदारी- सदस्य प्रशिक्षण (5 अंक); VCG/MRG प्रशिक्षण (5 अंक); LDP (लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम)/ निदेशक मंडल प्रशिक्षण कार्यक्रम (10 अंक);	20
कुल	100

- निदेशक मंडल द्वारा गठित "नामांकन समिति" में निम्नलिखित सदस्य होंगे:-
 - उस सदस्यता वर्ग का एक उत्पादक-सदस्य निदेशक, जिसमें रिक्ति उत्पन्न हुई है, बशर्ते कि वह उत्पादक-सदस्य निदेशक आगामी वार्षिक आम सभा में सेवानिवृत्त होने वाला निदेशक न हो। यदि एक से अधिक उत्पादक-सदस्य पात्र हों, तो आपसी सहमति के अधीन लॉटरी द्वारा एक NC सदस्य चुना जाएगा। यदि संबंधित वर्ग से कोई उत्पादक-सदस्य निदेशक उपलब्ध न हो, तो उपस्थित सभी निदेशकों की पारस्परिक सहमति या लॉटरी द्वारा किसी अन्य उत्पादक-सदस्य निदेशक की पहचान की जाएगी;
 - कंपनी के निदेशक मंडल में कार्यरत एक विशेषज्ञ निदेशक; और
 - किसी प्रतिष्ठित प्रबंधन संस्थान या ऐसी संस्था का एक विशेषज्ञ, जिसने उत्पादक-स्वामित्व वाले उद्यमों के विकास के लिए उल्लेखनीय कार्य किया हो।

कंपनी का HR प्रमुख "नामांकन समिति" की सहायता करेगा तथा उसके सभी संबंधित दस्तावेजों, जिसमें नामांकन समिति की बैठक की कार्यवाही भी शामिल है, के रख-रखाव के लिए जिम्मेदार होगा।

श्वेतधारा मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड

CIN: U01100UP2016PTC082671

पंजीकृत कार्यालय: गोरखनाथ कॉम्प्लेक्स, प्रथम तल बाईं ओर, प्रयागराज रोड, अवध विश्वविद्यालय के पास, फैजाबाद, अयोध्या-224001

ई-मेल: info@shwetdharamilk.com, फोन नं.: 7991402222, वेबसाइट: www.Shwetdharamilk.com

- “नामांकन समिति” का कार्यकाल समिति की पहली बैठक की तारीख से उस तारीख तक रहेगा जिस दिन वह कंपनी के निदेशक मंडल को अपनी सिफारिश भेज देती है।

- निदेशक मंडल “नामांकन समिति” द्वारा ऐसे संभावित सदस्यों की पहचान के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया निर्धारित करेगा।

यह भी प्रस्ताव पारित किया जाता है कि इस संकल्प को प्रभावी करने के उद्देश्य से कंपनी के निदेशक मंडल को अपने पूर्ण विवेक से आवश्यक एवं उचित समझे जाने वाले सभी कदम उठाने, सभी कार्य, विलेख, विषय एवं कार्यवाही करने तथा इस संबंध में उत्पन्न होने वाले किसी प्रश्न, कठिनाई या संदेह का निपटारा करने के लिए एतद्वारा अधिकृत किया जाता है।”

- कंपनी के संस्था के अंतर्नियम (संस्था के अंतर्नियम) में संशोधन पर विचार एवं अनुमोदन करना तथा यदि उचित समझा जाए तो निम्नलिखित विशेष प्रस्ताव को संशोधन सहित या बिना संशोधन के पारित करना:

“यह प्रस्ताव पारित किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 के भाग XXIA के संबंधित प्रावधानों, विशेषतः धाराओं 378-I, 378ZQ, 378ZR तथा अन्य लागू प्रावधानों, यदि कोई हों, और कंपनी के ज्ञापन एवं संस्था के अंतर्नियम के लागू प्रावधानों के अनुसार, कंपनी के वर्तमान संस्था के अंतर्नियम में निम्नलिखित तरीके और सीमा तक संशोधन एतद्वारा किए जाते हैं।”

(1) वर्तमान अनुच्छेद 4.3 iii. में संशोधन किया जाए और इसे निम्नानुसार पढ़ा जाए:

4.3 iii. जो सदस्य बने रहने के लिए पात्र नहीं है, उसे कंपनी द्वारा सदस्यता से हटाने के लिए लिखित सूचना दी जाएगी तथा उसे अपना पक्ष रखने का अवसर दिया जाएगा। सदस्य को सूचना में निर्दिष्ट निर्धारित अवधि के भीतर उत्तर देना होगा। इसके बाद निदेशक मंडल इस विषय में निर्णय लेगा। हालांकि, सदस्यों को सूचना भेजने के उद्देश्य से बोर्ड किसी विशेष वर्ष में सभी सदस्यों के लिए एक या अधिक पात्रता मानदंडों से छूट दे सकता है।

ऐसी सूचना या दस्तावेज सदस्य को हाथों-हाथ, साधारण डाक, पंजीकृत डाक, स्पीड पोस्ट, कूरियर या कंपनी में पंजीकृत सदस्य के ई-मेल पते पर इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से दिया जा सकता है।

डाक, पंजीकृत डाक, स्पीड पोस्ट या कूरियर द्वारा भेजी गई सूचना सामान्य प्रक्रिया में उसके वितरण के लिए आवश्यक सामान्य अवधि समाप्त होने पर विधिवत सेवा की गई मानी जाएगी।

कंपनी में पंजीकृत सदस्य के ई-मेल पते पर इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भेजी गई सूचना प्रेषण की तारीख को सेवा की गई मानी जाएगी, बशर्ते कंपनी को डिलीवरी विफलता, डिलीवरी न होने या बाउंस-बैक की कोई सूचना प्राप्त न हो।

(2) संस्था के अंतर्नियम के अनुच्छेद 4.4 में निम्नलिखित नया अनुच्छेद 4.4(i) जोड़ा जाए:

4.4(i) किसी सदस्य को निदेशक मंडल में किसी विशेष सदस्य वर्ग का प्रतिनिधित्व करने वाले निदेशक/निदेशकों के चुनाव या नियुक्ति में मतदान करने का अधिकार तभी होगा जब उसने चुनाव या नियुक्ति से ठीक पूर्व वाले वित्तीय वर्ष के दौरान उस सदस्यता वर्ग पर लागू सभी मानदंड पूरे किए हों।

(3) वर्तमान अनुच्छेद 4.5 में संशोधन किया जाए और इसे निम्नानुसार पढ़ा जाए:

सदस्यों को भुगतान किया जाने वाला मूल्य

- i. सदस्यों को उनके द्वारा आपूर्ति किए गए दुग्ध का मूल्य निदेशक मंडल द्वारा बनाए गए दिशा-निर्देशों के अनुसार भुगतान किया जाएगा।
- ii. कंपनी उस क्षेत्र में प्रचलित मूल्य तथा समय-समय पर तय किए जाने वाले अन्य मानदंडों के आधार पर दुग्ध की खरीद के लिए अपने सदस्यों को अलग-अलग मूल्य का भुगतान कर सकती है।
- iii. किसी सदस्य को प्रारंभ में देय एवं भुगतान योग्य मूल्य का कुछ भाग, जैसा समय-समय पर तय किया जाए, प्राप्त हो सकता है और रोकी गई राशि बाद में नकद, वस्तु के रूप में या इक्विटी शेयरों के आवंटन द्वारा, वित्तीय वर्ष के दौरान कंपनी को आपूर्ति किए गए दुग्ध के अनुपात में या अन्यथा, ऐसी सीमा, तरीके और शर्तों के अधीन वितरित की जा सकती है जैसा बोर्ड तय करे।

iv. अन्य भुगतान:

कंपनी सदस्यों को ऐसे गुणों/मानदंडों के आधार पर, ऐसी सीमा और ऐसे तरीके से तथा ऐसी शर्तों के अधीन प्रोत्साहन दे सकती है जैसा बोर्ड तय करे।

(4) वर्तमान अनुच्छेद 9.6 i. में संशोधन किया जाए और इसे निम्नानुसार पढ़ा जाए:

श्वेतधारा मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड

CIN: U01100UP2016PTC082671

पंजीकृत कार्यालय: गोरखनाथ कॉम्प्लेक्स, प्रथम तल बाई ओर, प्रयागराज रोड, अवध विश्वविद्यालय के पास, फैजाबाद, अयोध्या-224001

ई-मेल: info@shwetdharamilk.com, फोन नं.: 7991402222, वेबसाइट: www.Shwetdharamilk.com

9.6 i. कंपनी की प्रत्येक वार्षिक आम सभा में कुल निर्वाचित निदेशकों का एक-चौथाई भाग रोटेशन द्वारा सेवानिवृत्त होगा और रोटेशन से रिक्त हुई स्थिति को अनुच्छेद 9.5 के अनुसार प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करते हुए भरा जाएगा। प्रत्येक वार्षिक आम सभा में रोटेशन द्वारा सेवानिवृत्त होने वाले निदेशक वे होंगे जो अपनी पिछली नियुक्ति के बाद से सबसे लंबे समय तक पद पर रहे हैं। एक ही वार्षिक आम सभा में नियुक्त निदेशकों में से सेवानिवृत्त होने वाले निदेशक का निर्धारण लॉटरी द्वारा किया जाएगा।

(5) वर्तमान अनुच्छेद 9.6 iii में संशोधन किया जाए और इसे निम्नानुसार पढ़ा जाए:

प्रत्येक निदेशक जो अंतर्निर्णय के अनुसार सेवानिवृत्त होता है, निदेशक के रूप में पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र होगा। हालांकि, किसी व्यक्ति को लगातार दो कार्यकाल से अधिक के लिए निदेशक के रूप में निर्वाचित/नियुक्त नहीं किया जाएगा; ऐसा निदेशक पद छोड़ने के तीन वर्ष पूरे होने के बाद पुनः नियुक्ति के लिए पात्र होगा। अनुच्छेद 9.7 के अंतर्गत निदेशक की नियुक्ति को इस अनुच्छेद के अंतर्गत कार्यकाल नहीं माना जाएगा।

(6) वर्तमान अनुच्छेद 9.16 में संशोधन किया जाए और इसे निम्नानुसार पढ़ा जाए:

9.16 निर्वाचित निदेशक कंपनी का सदस्य न रहने या अनुच्छेद 4.4 के अनुसार एक वित्तीय वर्ष में न्यूनतम 200 दिनों तक न्यूनतम 500 लीटर दुध डालने की मूल पात्रता पूरी न करने के कारण मतदान अधिकारों का प्रयोग करने के लिए अपात्र हो जाने पर अपना पद छोड़ देगा। साथ ही, कोई सदस्य निदेशक मंडल में निदेशक नियुक्त होने के लिए पात्र नहीं होगा या निदेशक का पद रिक्त हो जाएगा यदि:

इस संकल्प को प्रभावी करने के उद्देश्य से मुख्य कार्यकारी को अपने पूर्ण विवेक से आवश्यक एवं उचित समझे जाने वाले सभी कदम उठाने तथा इस संबंध में उत्पन्न होने वाले किसी प्रश्न, कठिनाई या संदेह का निपटारा करने के लिए एतद्वारा अधिकृत किया जाता है।”

- कंपनी की अधिकृत शेयर पूंजी में वृद्धि पर विचार एवं अनुमोदन करना तथा यदि उचित समझा जाए तो निम्नलिखित साधारण प्रस्ताव को संशोधन सहित या बिना संशोधन के पारित करना:

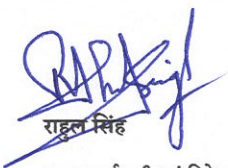
“यह प्रस्ताव पारित किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 के भाग XX1-A के संबंधित प्रावधानों, विशेषतः धाराओं 378H, 378ZQ, 378ZR तथा अन्य लागू प्रावधानों, यदि कोई हों, जिसमें धाराएं 13 एवं 61 भी शामिल हैं (समय-समय पर लागू किसी वैधानिक संशोधन या पुनः अधिनियमन सहित और जहां तक लागू हो आवश्यक परिवर्तन सहित), तथा कंपनी के ज्ञापन एवं संस्था के अंतर्निर्णय के लागू प्रावधानों के अनुसार, कंपनी की अधिकृत शेयर पूंजी ₹ 10,00,00,000/- (केवल दस करोड़ रुपये), जो ₹100/- प्रत्येक के 10,00,000 इक्विटी शेयरों में विभाजित है, से बढ़ाकर ₹ 25,00,00,000/- (पच्चीस करोड़ रुपये), जो 25,00,000 (पच्चीस लाख) इक्विटी शेयरों में, प्रत्येक ₹100/- (एक सौ रुपये) का, अतिरिक्त 15,00,000 (पंद्रह लाख) इक्विटी शेयर सृजित करके की जाए।

यह भी प्रस्ताव पारित किया जाता है कि कंपनी के ज्ञापन के मौजूदा खंड VI को निम्नलिखित नए खंड VI से प्रतिस्थापित करके संशोधित किया जाए।

“VI. कंपनी की अधिकृत शेयर पूंजी ₹ 25,00,00,000 (केवल पच्चीस करोड़ रुपये) है, जो ₹100/- (एक सौ रुपये) प्रत्येक के 25,00,000 (पच्चीस लाख) इक्विटी शेयरों में विभाजित है।”

यह भी प्रस्ताव पारित किया जाता है कि इस संकल्प को प्रभावी करने के उद्देश्य से मुख्य कार्यकारी को अपने पूर्ण विवेक से आवश्यक एवं उचित समझे जाने वाले सभी कदम उठाने तथा इस संबंध में उत्पन्न होने वाले किसी प्रश्न, कठिनाई या संदेह का निपटारा करने के लिए एतद्वारा अधिकृत किया जाता है।”

निदेशक मंडल के आदेशानुसार


राहुल सिंह

मुख्य कार्यकारी एवं निदेशक

(DIN: 11562249)

स्थान: अयोध्या | दिनांक: 31.08.2026

श्वेतधारा मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड

CIN: U01100UP2016PTC082671

पंजीकृत कार्यालय: गोरखनाथ कॉम्प्लेक्स, प्रथम तल बाईं ओर, प्रयागराज रोड, अवध विश्वविद्यालय के पास, फैजाबाद, अयोध्या-224001

ई-मेल: info@shwetdharamilk.com, फोन नं.: 7991402222, वेबसाइट: www.Shwetdharamilk.com

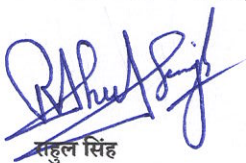
सूचना

- वार्षिक आम सभा में उपस्थित होने और मतदान करने का अधिकार रखने वाला सदस्य स्वयं के स्थान पर उपस्थित होने तथा हाथ उठाकर मतदान और मतदान-पत्र (मतदान-पत्र) में मतदान करने के लिए एक प्रॉक्सी नियुक्त कर सकता है और प्रॉक्सी कंपनी का सदस्य होना चाहिए। गैर-सदस्य को प्रॉक्सी नियुक्त नहीं किया जा सकता। प्रॉक्सी नियुक्त करने वाला दस्तावेज प्रभावी होने के लिए विधिवत पूरा, स्टाम्पित और हस्ताक्षरित होना चाहिए तथा बैठक के निर्धारित समय से कम से कम 48 घंटे पहले कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में जमा किया जाना चाहिए। प्रॉक्सी फॉर्म इसके साथ संलग्न है।
- सदस्यों/प्रॉक्सी से अनुरोध है कि बैठक में भाग लेने के लिए इसके साथ भेजी गई उपस्थिति पर्ची विधिवत भरकर साथ लाएं।
- साथ संलग्न सूचना में संदर्भित संबंधित दस्तावेज सदस्यों के निरीक्षण हेतु कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में शनिवार और रविवार को छोड़कर सभी कार्य दिवसों में सामान्य कार्यालय समय (10.00 बजे से 17.00 बजे तक) खुले रहेंगे।
- सदस्यों से अनुरोध है कि वे AGM में अपनी वार्षिक रिपोर्ट की प्रति साथ लाएं, क्योंकि कंपनी AGM स्थल पर कोई प्रति उपलब्ध नहीं कराएगी।
- खातों या कंपनी के संचालन से संबंधित कोई जानकारी प्राप्त करने के इच्छुक सदस्य बैठक की तारीख से कम से कम 7 दिन पहले अपना प्रश्न कंपनी के पंजीकृत कार्यालय को भेजें।
- सदस्यों से अनुरोध है कि अपने सभी पत्राचार में अपना फोलियो नंबर और सदस्य कोड अंकित करें।
- सदस्यों से अनुरोध है कि अपने पते और बैंक खाते के विवरण में किसी भी परिवर्तन की सूचना तुरंत कंपनी को दें।
- AGM स्थल पर हथियार, आग्नेयास्त्र, गोला-बारूद, चाकू और ब्लेड, धारदार उपकरण आदि प्रतिबंधित हैं।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 378ZA(4)(c) के अंतर्गत निदेशक के रूप में निर्वाचित किए जाने वाले अभ्यर्थियों की योग्यताओं का विवरण।

नाम	व्यवसाय	योग्यता
श्रीमती ज्योति सिंह	पशुपालन	स्नातक
श्रीमती रिया नीरज कुमार मिश्रा	पशुपालन	स्नातक
श्रीमती बीना पाठक	पशुपालन	स्नातक

निदेशक मंडल के आदेशानुसार


रसुल सिंह

मुख्य कार्यकारी एवं निदेशक

(DIN: 11562249)

स्थान: अयोध्या | दिनांक: 31.08.2026

श्वेतधारा मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड

CIN: U01100UP2016PTC082671

पंजीकृत कार्यालय: गोरखनाथ कॉम्प्लेक्स, प्रथम तल बाई ओर, प्रयागराज रोड, अवध विश्वविद्यालय के पास, फैजाबाद, अयोध्या-224001

ई-मेल: info@shwetdharamilk.com, फोन नं.: 7991402222, वेबसाइट: www.Shwetdharamilk.com

व्याख्यात्मक विवरण

कार्यसूची संख्या 03

- श्रीमती ज्योति सिंह को कंपनी अधिनियम तथा कंपनी के संस्था के अंतर्नियम के प्रावधानों के अनुसार AGM की तारीख से कंपनी के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था।
- निदेशक मंडल का मत है कि श्रीमती ज्योति सिंह की कंपनी के निदेशक मंडल में निदेशक के रूप में नियुक्ति वांछनीय है और कंपनी के लिए लाभकारी होगी; अतः वह सदस्यों की स्वीकृति हेतु प्रस्ताव संख्या 3 की अनुशंसा करता है।
- कंपनी के किसी भी निदेशक/मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक या उनके रिश्तेदार का उक्त प्रस्ताव में कोई संबंध या हित नहीं है, सिवाय श्रीमती पुष्पांजलि सिंह के स्वयं के। बोर्ड उक्त प्रस्ताव को साधारण प्रस्ताव के रूप में पारित करने की अनुशंसा करता है।

कार्यसूची संख्या 04

- श्रीमती रिया नीरज कुमार मिश्रा को कंपनी अधिनियम तथा कंपनी के संस्था के अंतर्नियम के प्रावधानों के अनुसार AGM की तारीख से कंपनी के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था।
- निदेशक मंडल का मत है कि श्रीमती रिया नीरज कुमार मिश्रा की कंपनी के निदेशक मंडल में निदेशक के रूप में नियुक्ति वांछनीय है और कंपनी के लिए लाभकारी होगी; अतः वह सदस्यों की स्वीकृति हेतु प्रस्ताव संख्या 4 की अनुशंसा करता है।
- कंपनी के किसी भी निदेशक/मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक या उनके रिश्तेदार का उक्त प्रस्ताव में कोई संबंध या हित नहीं है, सिवाय श्रीमती पुष्पांजलि सिंह के स्वयं के। बोर्ड उक्त प्रस्ताव को साधारण प्रस्ताव के रूप में पारित करने की अनुशंसा करता है।

कार्यसूची संख्या 05

- श्रीमती बीना पाठक को कंपनी अधिनियम तथा कंपनी के संस्था के अंतर्नियम के प्रावधानों के अनुसार AGM की तारीख से कंपनी के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था।
- निदेशक मंडल का मत है कि श्रीमती बीना पाठक की कंपनी के निदेशक मंडल में निदेशक के रूप में नियुक्ति वांछनीय है और कंपनी के लिए लाभकारी होगी; अतः वह सदस्यों की स्वीकृति हेतु प्रस्ताव संख्या 5 की अनुशंसा करता है।
- कंपनी के किसी भी निदेशक/मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक या उनके रिश्तेदार का उक्त प्रस्ताव में कोई संबंध या हित नहीं है, सिवाय श्रीमती पुष्पांजलि सिंह के स्वयं के। बोर्ड उक्त प्रस्ताव को साधारण प्रस्ताव के रूप में पारित करने की अनुशंसा करता है।

कार्यसूची संख्या 08

NDDB, NDDB Dairy Services (NDS) के माध्यम से NDDB द्वारा वर्तमान या भविष्य में प्रवर्तित दुग्ध उत्पादक संगठनों की एक शीर्ष बहु-राज्य सहकारी समिति के गठन को सुगम बना रहा है। उक्त शीर्ष सहकारी समिति को बहु-राज्य सहकारी समिति अधिनियम, 2002 के प्रावधानों के अंतर्गत पंजीकृत किया जाएगा। इस सोसाइटी का उद्देश्य सरकारी संस्थाओं के साथ सहयोग तथा सहकारी सिद्धांतों का पालन करते हुए दुग्ध उत्पादन, खरीद, प्रसंस्करण एवं विपणन को समर्थन देकर, डेयरी क्षेत्र से संबंधित गतिविधियों का विस्तार करके तथा दुग्ध उत्पादकों को वित्तीय, तकनीकी एवं प्रशिक्षण सहायता प्रदान करके अपने सदस्यों के आर्थिक हितों को बढ़ावा देना है। श्वेतधारा मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड के उद्देश्य एवं गतिविधियां इस शीर्ष सहकारी समिति के व्यापक उद्देश्यों और दृष्टि के अनुरूप हैं, विशेष रूप से सहकारी एवं पारस्परिक सहायता के सिद्धांतों को बढ़ावा देने, दुग्ध उत्पादन बढ़ाने और भारत में डेयरी मूल्य श्रृंखला को मजबूत करने के संबंध में। अतः प्रस्ताव है कि Shwetdhara MPO उक्त शीर्ष सहकारी समिति की सदस्य बने और सामान्य आरक्षित निधि के 30% तक की सीमा में मल्टी-स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी के शेयरों की सदस्यता ले।

निदेशक मंडल सदस्यों की स्वीकृति हेतु साथ संलग्न सूचना की कार्यसूची संख्या 8 में दिए गए विशेष प्रस्ताव की अनुशंसा करता है।

कंपनी के किसी भी निदेशक, मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक या उनके रिश्तेदार का इस प्रस्ताव में वित्तीय या अन्य किसी रूप में कोई संबंध या हित नहीं है, सिवाय कंपनी में उनकी शेरधारिता की सीमा तक, यदि कोई हो।

कार्यसूची संख्या 10

(कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102 को धारा 378-I के साथ पढ़ा जाए)

श्वेतधारा मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड

CIN: U01100UP2016PTC082671

पंजीकृत कार्यालय: गोरखनाथ कॉम्प्लेक्स, प्रथम तल बाई ओर, प्रयागराज रोड, अवध विश्वविद्यालय के पास, फैजाबाद, अयोध्या-224001

ई-मेल: info@shwetdharamilk.com, फोन नं.: 7991402222, वेबसाइट: www.Shwetdharamilk.com

- कंपनी के संस्था के अंतर्नियम ("अंतर्नियम") की समीक्षा कंपनी की परिचालन आवश्यकताओं, शासन पद्धतियों और उत्पादक कंपनियों से संबंधित कंपनी अधिनियम, 2013 के लागू प्रावधानों के संदर्भ में की गई है। समीक्षा के आधार पर, शासन ढांचे को मजबूत करने और प्रशासनिक दक्षता में सुधार के लिए संस्था के अंतर्नियम के अनुच्छेद 4.3.(iii), 4.4, 4.5, 9.6(i), 9.6(iii) और 9.16 में कुछ संशोधन प्रस्तावित हैं। प्रस्तावित संशोधन मुख्यतः सूचनाओं की सेवा से संबंधित प्रावधानों को अद्यतन करने, अनावश्यक प्रावधानों को हटाने तथा अतिरिक्त शासन आवश्यकताओं को शामिल करके निदेशकों की पात्रता एवं अयोग्यता के मानदंडों को मजबूत करने के लिए हैं। इन संशोधनों का उद्देश्य बेहतर शासन को बढ़ावा देना, अंतर्नियमों में स्पष्टता सुधारना, दोहराव हटाना, वैधानिक प्रावधानों के साथ संगति सुनिश्चित करना तथा उत्पादक सदस्यों के हितों की रक्षा करते हुए कंपनी के कुशल संचालन को सुगम बनाना है।
- ज्ञापन एवं संस्था के अंतर्नियम की प्रस्तावित संशोधनों सहित प्रति सदस्यों के निरीक्षण हेतु कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में आज की तारीख से बैठक की तारीख तक सभी कार्य दिवसों में प्रातः 11 बजे से शाम 4 बजे तक उपलब्ध रहेगी।
- निदेशक मंडल सदस्यों की स्वीकृति हेतु साथ संलग्न सूचना की कार्यसूची संख्या 10 में दिए गए विशेष प्रस्ताव की अनुशंसा करता है।
- कंपनी के किसी भी निदेशक, मुख्य प्रबंधकीय कर्मिक या उनके रिश्तेदार का प्रस्ताव में वित्तीय या अन्य किसी रूप में कोई संबंध या हित नहीं है, सिवाय कंपनी में उनकी शेरधारिता की सीमा तक, यदि कोई हो।

कार्यसूची संख्या 11

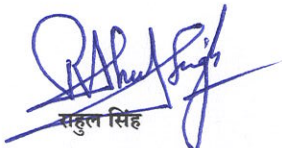
वर्तमान में कंपनी की अधिकृत पूंजी ₹ 10 करोड़ है और इसकी जारी, अभिदत्त एवं चुकता शेयर पूंजी ₹ 9,64,19,600 है। अतः अपने सामान्य व्यवसाय में वृद्धि एवं विकास के उद्देश्यों को पूरा करने तथा लक्ष्यों की प्राप्ति को सुगम बनाने के लिए कंपनी को अपनी चुकता शेयर पूंजी ₹ 25 करोड़ तक बढ़ाने की आवश्यकता होगी। इसलिए कंपनी की अधिकृत शेयर पूंजी को ₹ 25 करोड़ तक बढ़ाना उचित माना गया है; इसके लिए कंपनी के ज्ञापन में साथ संलग्न सूचना की कार्यसूची संख्या 11 के प्रस्ताव के अनुसार उपयुक्त संशोधन प्रस्तावित है।

प्रस्ताव के मुख्य भाग में वर्णित लागू वैधानिक प्रावधानों के अनुसार, कंपनी को अधिकृत शेयर पूंजी में वृद्धि तथा कंपनी के ज्ञापन के पूंजी खंड में संशोधन के लिए सदस्यों की स्वीकृति लेना आवश्यक है।

ज्ञापन एवं संस्था के अंतर्नियम की प्रस्तावित संशोधनों सहित प्रति सदस्यों के निरीक्षण हेतु कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में आज की तारीख से बैठक की तारीख तक सभी कार्य दिवसों में प्रातः 11 बजे से शाम 4 बजे तक उपलब्ध रहेगी।

कंपनी के किसी भी निदेशक/अधिकारी या उनके रिश्तेदार का इस प्रस्ताव में किसी भी प्रकार से कोई हित या संबंध नहीं है। निदेशक मंडल सदस्यों की स्वीकृति हेतु साथ संलग्न सूचना की कार्यसूची संख्या 11 में दिए गए साधारण प्रस्ताव की अनुशंसा करता है।

निदेशक मंडल के आदेशानुसार



मुख्य कार्यकारी एवं निदेशक

(DIN: 11562249)

स्थान: अयोध्या | दिनांक: 31.08.2026